छात्र/छात्रा द्वारा शपथ पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि सोबन सिह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा अचरण ठीक रखूँगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूँगा/लूँगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगां/करूँगीं अन्यथा मैं विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/ रहूँगी।
2. मै प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य है। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया गया है।
4. मै महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगां/करूँगीं। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मै विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूध किसी अन्य पाठ्क्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षर
(उसी महाविद्यालय/संस्थान/परिसर के शिक्षक द्वारा)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मै विश्वास दिलाता हू कि श्री/कु0/श्रीमती ....जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा में के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर–पिता/अभिभावक

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाण पत्र

1. मैं श्री / श्रीमती / सुश्री ....
.... (विद्यार्थी का नाम व पूर्ण पता)..
....
(पिता / माता / अभिभावक का नाम एवं पूर्ण पता)...
...................................(प्रवेश पंजीकरण / पंजीकरण संख्या) ने...
....
.....................(परिसर / महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश ले लिया है। मैने विधि / उच्चतम न्यायालय / केन्द्र / राज्य सरकारों के रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों को पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान अयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंगिग से सम्बन्धित विनिमय 2010 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैने मुख्यरूप से विनिमय 03 को पढ लिया है और मैं यह जानता / जानती हूँ कि **रैगिंग के क्या मायने हैं।**
3. मैनं धारा–7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं रैगिंग के लिये दोषी पाया जाता हूँ या किसी तरह की रैंगिग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ, तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चर्पूवक यह प्रयत्न करूगाँ कि–
   क. मैं किसी तरह की रैगिंग जोकि धारा–3 पिनिमय उल्लिखित है, उसमें भाग नही लेंगे।
   ख. मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नही लूँगा / लूँगी जो किसी रैगिंग की धारा–3 विनिमय के अर्न्तगत आता हो।
5. मै यह घोषित करता हूँ / करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया / पायी गयी, तो मुझे विनिमय 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावाधान के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता हूँ / करती हूँ कि मेरे विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग के मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और यदि मुझे ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान –

दिनांक–

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर ....नाम...
पूर्ण पता ....
....मोबाईल नम्बर ....

**प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य हैं।

माता–पिता / अभिभावक का शपथ प्रमाण पत्र

1. मैं श्री / श्रीमती / सुश्री ....(पिता / माता / अभिभावक का नाम एवं पूर्ण पता) ....(विद्यार्थी का नाम एवं पूर्ण पता).................. ....(प्रवेश पंजीकरण / पंजीकरण संख्या) ने.. ....(परिसर / महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश ले लिया है। रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान अयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धित विनिमय 2010 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैने मुख्यरूप से विनियम 03 को पढ लिया है और मैं यह जानता / जानती हूँ कि **रैंगिग के क्या मायने हैं।**
3. मैनें धारा–7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मेरा पुत्र / पुत्री / पाल्य रैगिंग के लिये दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है, तो प्रशासन मेरे पुत्र / पुत्री / पाल्य के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयर्पूवक यह प्रयत्न करूगाँ कि –
   - क. मेरे पुत्र / पुत्री / पाल्य किसी तरह की रैंगिग जोकि धारा–3 विनिमय उल्लिखित है उसमें भाग नही लेंगे
   - ख. मैं अपने पुत्र / पुत्री / पाल्य कों किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नही दूँगा / दूँगी जो किसी रैगिंग की धारा–3 विनिमय के अर्न्तगत आता हो।
5. मै यह घोषित करता करता हूँ / करती हूॅ कि अगर मेरा पुत्र / पुत्री / पाल्य रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया / पायी गयी, तो मेरे पुत्र / पुत्री / पाल्य को विनिमय 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावाधान के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र / पुत्री / पाल्य के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता हूँ / करती हूँ कि मेरे पुत्र / पुत्री / पाल्य के विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैंगिग के मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और यदि मेरे पुत्र / पुत्री / पाल्य को ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो मेरे पुत्र / पुत्री / पाल्य का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान –

दिनांक–

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर ....नाम..
पूर्ण पता ....
....मोबाईल नम्बर ....

**प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य हैं।